छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. १७ /संपदा/एफ– /2023 नवा रायपुर दिनांक २८/०५/2023

// आदेश //

विषयः–मण्डल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिशत दर (भाटकीय/किराया आधार) पर आबंटित किए जाने वाले भवनों के श्रेणी तथा लायसेंस फीस पुनरीक्षित किए जाने बाबत्।

———000———

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 73वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 10.04.2023 के एजेण्डा क्रमांक 13 पर पारित संकल्प क्रमांक 2000/13/73/4/2023 में संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, मण्डल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिशत दर (भाटकीय/किराया आधार) पर आबंटित किए जाने वाले भवनों के श्रेणी तथा लायसेंस फीस पुनरीक्षित करते हुए निम्नानुसार भवनों के आबंटन पर अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	निर्धारित पद एवं समकक्ष	आबंटन हेतु निर्मित भवन की श्रेणी	निर्धारित मासिक लायसेंस फीस
1.	अपर आयुक्त/मुख्य लेखा अधिकारी	सीनि. एच.आई.जी. (03 बीएचके)	रु.2400/–
2.	उपायुक्त/मुख्य संपदा अधिकारी	एच.आई.जी. (03 बीएचके)	रु.2300/–
3.	कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी	एम.आई.जी. (02 बीएचके)	रु.2200/–
4.	सहायक अभियंता/शाखा अधिकारी/ सम्पत्ति प्रबंधक एवं समकक्ष	एम.आई.जी. (02 बीएचके)	रु.1700/–
5.	उप अभियंता/वरिष्ठ तृतीय श्रेणी	एल.आई.जी. (01 बीएचके)	रु.1400/–
6.	कनिष्ठ तृतीय श्रेणी	एल.आई.जी. (01 बीएचके)	रु.850/–
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस.	रु.600/–

1. उपरोक्त न्यूनतम सुविधायें कर्मचारियों को भवन आबंटन के समय ध्यान में रखी जाएगी। यदि इससे अधिक सुविधा के भवन वर्तमान में विनिर्दिष्ट हैं तो उपलब्धता एवं कर्मचारियों के पद को देखते हुए आबंटित की जा सकेगी। जिन कॉलोनियों में भवन मण्डल अधिकारी/ कर्मचारियों को आबंटन हेतु विर्निदिष्ट नही किए गए है, ऐसे प्रकरणों में मुख्यालय द्वारा गुण–दोष के आधार पर विचार कर कर्मचारियों का आबंटन करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. मण्डल के माननीय अध्यक्ष एवं आयुक्त हेतु आवासीय व्यवस्था शासन के नियमानुसार उनकी पात्रताओं के आधार पर आबंटन की जावेगी।
3. मण्डल अधिकारियों/कर्मचारियों का जिस मुख्यालय पर पदस्थ है वहां स्वयं (पति/पत्नि) का भवन है, वहा पर उन्हें मण्डल का आवास किराये पर प्राप्त करने की सामान्यतः पात्रता नहीं होगी।
4. प्रतिशत दर आधार पर आबंटन हेतु अन्य नियम/शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

अन्य सभी प्रकार की आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया गया है।

(मण्डल के आदेशानुसार)

17/4/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर

पृ.क्र. ३०५ /संपदा/एफ— /2023

नवा रायपुर, दिनॉक १८ /०५/2023

प्रतिलिपिः—

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03,04, रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग—01 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/ कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,04 सेजबहार रायपुर/राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र—रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
11. प्रभारी एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

17/4/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर